233 16 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों के विदेशी दौरे

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 24.8.2007 और 20.7.2011 के कार्यालय ज्ञापनों का हवाला देने का निदेश हुआ है। इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है उपर्युक्त विषय से संबंधित विशेषज्ञों के तदर्थ समूह (एडीजीई) की सिफारिशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 24. 8.2007 का ऊपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। हाल ही में कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन ने यह मुद्दा दोबारा उठाया है, संभवतः विदेशी दौरे करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी हासिल करने में पेश आने वाले विलंब के उनके अनुभव के आधार पर। "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सीएमडी और निदेशकों की विदेशी यात्रा के लिए विलंब और भारी–भरकम प्रक्रियाओं" का मुद्दा सरकार के समक्ष पेश किया गया है।

2. लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.8.2007 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशकों को प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के अनुमोदन से विदेशी दौरों पर जाने की अनुमति दी जा सकती है। जहां तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी द्वारा विदेश यात्रा का संबंध है, रिपोर्टिंग अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन अपेक्षित होता है जिसे बोर्ड का अनुमोदन लेने की अपेक्षा हासिल करना अधिक आसान माना जाता है। अतः प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के विदेश दौरों के अनुमोदन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा अधिक शीघ्र होती है, जैसा उल्लिखित दिनांक 24.8.2007 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लेख किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3. यह पुनः दोहराया जाता है कि इन दिशानिर्देशों का सख्त पालन किया जाना चाहिए ताकि ऐसे प्रस्तावों की शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित की जा सके।

4. मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(23)/2007–डीपीई–(डब्ल्यूसी)–जीएल–VIII/13, दिनांक 07 मार्च, 2013)

*****